न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

अपील संख्या - 127/2025 GCMS No. - 2025/150

मै० महावीर फार्मासुटिकल वेलफेयर सोसायटी V/s सदस्य सचिव RMRS, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07.10.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अध्यक्ष महावीर फार्मासुटिकल वेलफेयर, सोसायटी, नागौर ने यह अपील सदस्य सचिव, आर. एम. आर. एस. (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय) नागौर द्वारा वित्तिय वर्ष 2025–2026 के लिये जारी साफ सफाई आपूर्ति की ई–निविदा सूचना संख्या 05/2025–26 दिनांक 26.05.2025 के क्रम में फर्म दयावान के पक्ष में खोली गई वित्तिय निविदा के विरूद्ध जरिये डाक पेश की है। अपील के साथ प्रश्नगत निविदा खोली गई के आदेश की प्रति अपीलांट ने पेश नहीं की है। अपील के साथ पेश की गई ई–निविदा सूचना संख्या 05/2025–26 क्रमांक/चिकित्सा/लेखा/2025–26/285 दिनांक 26.05.2025 एवं संलग्न निविदा की शर्तों की प्रति का अवलोकन किया गया। निविदा शर्त संख्या 47 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "निविदा के निर्णय के सम्बन्ध में कोई शिकायत होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 83 व 84 के अनुसार निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर को तथा द्वितीय अपील श्रीमान वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर को नियमानुसार की जा सकेगी।" इस प्रकार इस निविदा शर्तों के अनुसार सदस्य सचिव, आर. एम. आर. एस. (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय) नागौर द्वारा इस सम्बन्ध में खोली गई वित्तीय निविदा के आदेश की प्रथम अपील श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर को पेश करनी होती है, जबकि अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में किस आधार पर पेश की है का कोई दस्तावेज इस अपील के साथ संलग्न नहीं है। जिससे यह अपील इस न्यायालय क्षेत्राधिकार की नहीं है। अतः यह प्रस्तुत अपील इस न्यायालय क्षेत्राधिकार की नहीं होने से मूल अपील अपीलांट को पुनः लोटाई जाती है। अपील की प्रमाणित प्रति रेकार्ड पर रखते हुवे अपील जरिये रजि0 डाक अपीलांट को पुनः लोटाई जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। कलक्टर नागौर	